

प्रार्थी	ब	अप्रार्थी
दिलीप कुमार खोखर पुत्र मुन्नाराम खोखर जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील कुचामन सिटी	ना म	अमरीदेवी पत्नी मुन्ना जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील कुचामन सिटी वगैराह

राजस्व प्रार्थना-पत्र = प्रार्थना-पत्र रिकॉर्ड दुरुस्ती करवाने बाबत अन्तर्गत धारा 136, 121 आरएलआर एक्ट 1956

राजस्व प्रार्थना-पत्र नम्बर = 51 /2025 GCMS No.2025/78

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

06.02.2025 प्रार्थी वकील द्वारा यह राजस्व प्रार्थना-पत्र रिकॉर्ड दुरुस्ती करवाने बाबत अन्तर्गत धारा 136, 121 आरएलआर एक्ट 1956 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण जरिए रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 21/2/2025 को पेश हो।

उच्च न्यायाधीश
कुचामन सिटी (शिवदानपुरा-कुचामन)

21/2/25

पत्रावली पेश हुयी। डाय प्रथ द्वारा कार्य कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली दिनांक 21/3/25 को पेश हो।

21/3/25

पत्रावली पेश हुयी। डाय प्रथ द्वारा कार्य कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली दिनांक 17/4/2025 को पेश हो।

17/4/2025

उभयपक्षकारान उच्च न्यायाधीश रिपोर्ट प्राप्त श्रीमित्त मिस्त्र रहे। अपार्थी वकील ने अपार्थी से 1 से 23 के विरुद्ध किसी प्रकार का अपील नही चाले जाने का निवेदन किया गया है। उभय पक्षकारान की वकालत जमी। वकील अपने डाय प्रथ इस प्रथिना पत्रावली में प्रथार इस प्रकार है कि मौजा शिवदानपुरा तहसील कुचामन सिटी के खसरा नं.

अप्रार्थी नं 1 NT 23 को विरुद्ध जो 21 अपील नही चाले जायेगा।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिधी (विष्णुना-कुचामन)

दिलीप कुमार बनाम अमरींडी कौराह

प्रापक सं. 41/2023- प्रापक द्वारा 136, 121 RLR Act 1956


128, रकबा 0.0300 है, खसरा नं. 129 रकबा 6.3400 है कुल
खसरे 02 कुल रकबा 6.3400 है, खसरा नं. 67 रकबा 0.0600 है
खसरा नं. 68 रकबा 0.0100 है, खसरा नं. 70 रकबा 9.5100 है
खसरा नं. 71 रकबा 0.0100 है, खसरा नं. 72 रकबा 0.1000 है
खसरा नं. 73 रकबा 4.8100 है कुल खसरे 07 कुल रकबा
18.3100 है की शीष शीम कबजमुहा, खेतदारीसुहा शीमकी
आ रही है उपरोक्त खसरा नं. की शीम में जर्गी के पिता मुन्ना
राम पुत्र श्री वासुराम की मूल्य दिनांक 03/04/2008 का हो उम्मी
है जिसका विरासत नामांतरकरण रूने किया गया जिसके शुभ
पंचांग की मिति में सरपंच द्वारा स्वीकृत किया गया बडस
दीरान प्रार्थी का नाम दिलीप कुमार खोखर पुत्र श्री मुन्नाराम
खोखर के स्थान पर श्रुत्यवंबा दीपाराम पुत्र मुन्ना कर दिया
गया था। जहाँके प्रार्थी का सभी नाम सम्पूर्ण दस्तोपज आधारकांड,
अंकावतिका, लाइसेंस, शशनकांड आदि सभी दस्तोपजों में
दिलीप कुमार खोखर पुत्र मुन्नाराम खोखर है जो विद्वष्टि
कारने का अधिकारी है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तोपजों का अवलोकन किया
गया व कृष्ण परमन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध
प्रार्थी के दस्तोपज प्रतियों आधारकांड, लाइसेंस, शशनकांड में
प्रार्थी का नाम दिलीप खोखर पुत्र मुन्नाराम खोखर अंकित
है और वही प्रकार रिलेटिव की प्रार्थी का सभी नाम दिलीप खोखर
खोखर होना पाया गया है अतः उपरोक्त खसरा नम्बर

मुकदमा नं: प्रतिना पत्र सं. 41/2003 - दिल्लीप कुमार बनाय अमरीडेव केर ह

तारीख हुकम	प्रोपत्र अंश 136, 121 LRA 1956 हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
---------------	---	---

भू प्रार्थी का नाम अशोकन किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थी का प्रतिना पत्र स्वीकार कर उम शिवदत्तपुर के खसरा नम्बर 128, 129, 67, 68, 70, 71, 72, 73 में प्रार्थी के नाम दीपराज पुत्र मुन्नाशम के स्थान पर दिल्लीप कुमार खोशर पुत्र मुन्नाशम खोशर अशोकन किये जाने का आदेश दिया जाता है पाप्ना हेतु वही खोशर कुचामन सिटी को वहीर जारी है। पत्रावली प्रस्तुत कुमार हेतु नम्बर से कम हेतु इनिशियल दस्तूर है।


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)